

प्रेस-विज्ञप्तिथाना तरवांनौकरी दिलाने के नाम पर ब्लैकमेल करते हुए रंगदारी मांगने वाला अभियुक्त गिरफ्तारपूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 05.05.23 को वादी थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त सत्येन्द्र यादव पुत्र रमाशंकर सा0 शेरपुर कला थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर द्वारा वादी की लड़की को नौकरी दिलाने के नाम पर उसका आधार कार्ड , फोटो, बैंक पासबुक ले लिया, इसी क्रम में अभियुक्त द्वारा फोन करके पीड़िता से सम्पर्क किया जाने लगा। सम्पर्क करने के दौरान अभियुक्त द्वारा पीड़िता से शादी करने का दबाव डालते हुए परेशान किया जाने लगा। जब पीड़िता द्वारा ये बात वादी को बताया गया तो, वादी द्वारा अपनी लड़की की शादी अन्य जगह तय कर दिया गया। जब अभियुक्त को शादी तय होने की बात पता चली तो अभियुक्त द्वारा मैसेज भेजकर वादी को ब्लैकमेल करते हुए 03 लाख रुपये रंगदारी मांगा जा रहा है, ऐसा न करने पर वादी ,वादी की लड़की व शादी करने वाले लड़के को गोली मार देने की धमकी दी जा रही है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 108/23 धारा 386/420/504 भादवि बनाम सत्येन्द्र यादव पुत्र रमाशंकर सा0 शेरपुर कला थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी की विवरण-

आज दिनांक 17.05.2023 को उ0नि0 शैलेश कुमार यादव मय हमराह मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सत्येन्द्र यादव पुत्र रमाशंकर सा0 शेरपुर कला थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर को अभियुक्त के घर से समय करीब 08.55 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 108/23 धारा 386/420/504 भादवि थाना तरवां जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	108/23	386/420/504 भादवि	तरवां	आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

सत्येन्द्र यादव पुत्र रमाशंकर सा0 शेरपुर कला थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 शैलेश कुमार यादव मय हमराह थाना तरवां जनपद आजमगढ़

थाना जहानागंजकिशोरी के साथ छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तारपूर्व की घटना-

दिनांक 16.05.2023 को वादी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वार थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त राजू चौहान पुत्र हरिशचन्द चौहान ग्राम जिगरसण्डी कुचया थाना जहानागंज आजमगढ़ द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ स्कूल से आते-जाते समय छेड़खानी किया जाता है व जान से मारने की धमकी दी जाती है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 229/23 धारा 354 ख/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम 1. राजू चौहान पुत्र हरिशचन्द चौहान ग्राम जिगरसण्डी कुचया थाना जहानागंज आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:

दिनांक 17.05.2023 उ0नि0 अशोक कुमार सोनकर मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त राजू चौहान पुत्र हरिशचन्द चौहान ग्राम जिगरसण्डी कुचया थाना जहानागंज आजमगढ़ को अभियुक्त के घर से समय करीब 10.05 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 229/23 धारा 354ख/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:-

राजू चौहान पुत्र हरिशचन्द चौहान ग्राम जिगरसण्डी कुचया थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

उ0नि0 अशोक कुमार सोनकर मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना सरायमीर

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 25-25 हजार रूपये के 02 इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/ इतिहास का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.07.2019 को वादी परिक्षित सिंह पुत्र स्व० प्रकाश नरायन सिंह सा० गोकुलपुर थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ वर्तमान पता 2/17 विनीत खण्ड गोमती नगर लखनऊ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्तों 1- परवेज अहमद पुत्र असफाक अहमद सा० शेरवाँ थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ 2. नसीम अहमद पुत्र मैनुद्दीन सा० शेरवाँ, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, 3. दिवाकर सिंह पुत्र जिलेदार सिंह सा० गोकुलपुर खानकाह, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ 4- महेन्द्र प्रताप पुत्र रामचरित्तर सा० गोकुलपुर थाना सरायमीर आजमगढ़ उम्र 72 वर्ष द्वारा गिरोह बनाकर वादी की पुश्तैनी जमीन जो पवई लाड़पुर में है को दस्तावेजों की कूट रचना कर/ फर्जी दस्तावेज तैयार कर दिनांक 04.04.2018 को अभियुक्त परवेज अहमद उपरोक्त के नाम बैनामा करा लिया गया। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 183/2019 धारा 419/420/468 भादवि बनाम 1- परवेज अहमद पुत्र असफाक अहमद सा० शेरवाँ थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ 2. नसीम अहमद पुत्र मैनुद्दीन सा० शेरवाँ, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, 3. दिवाकर सिंह पुत्र जिलेदार सिंह सा० गोकुलपुर खानकाह, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ 4- महेन्द्र प्रताप पुत्र रामचरित्तर सा० गोकुलपुर थाना सरायमीर आजमगढ़ उम्र 72 वर्ष के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। उपर्युक्त गिरोह द्वारा आर्थिक, भौतिक, दुनियाबी लाभ पाने के लिए इस प्रकाश के आपराधिक कार्य किया जाता है। जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ के अनुमोदनोपरान्त थाना सरायमीर पर मु०अ०सं० 76/2023 धारा 3(1) यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया। जिसमें वांछित अभियुक्तों (1) गैंग लीडर परवेज अहमद पुत्र अशफाक अहमद (2) गैंग सदस्य नसीम अहमद पुत्र मैनुद्दीन साकि० शेरवा थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध दिनांक 14.04.2023 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा 25-25 हजार रूपये पुरस्कार घोषित किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 17.05.2023 को 1-SO विवेक कुमार पाण्डेय मय हमराह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ 2-निरीक्षक सन्तोष कुमार सिंह, उ०नि० जावेद आलम सिद्दीकी मय हमराह एस०टी०एफ० उ०प्र० लखनऊ द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित 25000/- रूपये का वांछित अभियुक्तों (1) गैंग लीडर परवेज अहमद पुत्र अशफाक अहमद सा० शेरवा, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ उम्र 57 वर्ष (2) गैंग सदस्य नसीम अहमद पुत्र मैनुद्दीन सा० शेरवा थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ उम्र 55 वर्ष बस्ती साकि० शेरवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को बस्ती नहर पुलिया से समय करीब 09.50 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायलय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 76/2023 धारा 3(1) यू०पी० गैंगे० एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त परवेज पुत्र अशफाक सा० शेरवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

- 1-मु०अ०सं० 183/2019 धारा 419/420/468 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ़
- 2-मु०अ०सं० 183/14 धारा 323/325/352/427 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ़
- 3-मु०अ०सं० 229/14 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट सरायमीर जनपद आजमगढ़
- 4-मु०अ०सं० 315/13 धारा 147/188/341 भादवि सरायमीर आजमगढ़
- 5-मु०अ०सं० 366/13 धारा 143/188/341 भादवि व 7 सीएलए एक्ट सरायमीर आजमगढ़
- 6-मु०अ०सं० 416/12 धारा 147/149/323/427/504/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट सरायमीर आजमगढ़
- 7-मु०अ०सं० 417/12 धारा 147/149/188/336/34/341/353/427 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़
- 8-मु०अ०सं० 18/23 धारा 406/420/506 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ़
- 9-मु०अ०सं० 45/23 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ़
- 10-मु०अ०सं० 76/23 धारा 3(1) यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़

अभियुक्त नसीम अहमद पुत्र मैनुद्दीन सा० शेरवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

- 1-मु०अ०सं० 183/2019 धारा 419/420/468 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ़
- 2-मु०अ०सं० 123/2021 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़
- 3-मु०अ०सं० 45/23 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ़
- 4-मु०अ०सं० 76/23 धारा 3(1) उ०प्र० गैंगेस्टर अधि० थाना सरायमीर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1-परवेज पुत्र अशफाक सा० शेरवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र 57 वर्ष
- 2-नसीम अहमद पुत्र मैनुद्दीन सा० शेरवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र 55 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-SO विवेक कुमार पाण्डेय मय हमराह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

2-निरीक्षक सन्तोष कुमार सिंह, उ0नि0 जावेद आलम सिद्दीकी मय हमराह एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ

प्रेस-विज्ञप्ति

जनसुनवाई

आज दिनांक- 17.05.2023 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जन सुनवाई की गयी। जनसुनवाई में प्राप्त कुल 33 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

थाना फूलपुर

मोटरसाइकिल चोरी करने वाला अभियुक्त चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार

घटना का विवरण---

दिनांक 16.05.2023 को वादी जयप्रकाश पाण्डेय थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त विरेन्द्र सिंह पुत्र सभाजीत सिंह निवासी गयापुर थाना जौतपुर जिला अम्बेडकरनगर द्वारा वादी की मोटर साइकिल बजाज प्लेटिना ब्लैक कलर की नम्बर **UP62M7257** चोरी कर लिया गया है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 206/23 धारा 411,413,473 भादवि बनाम विरेन्द्र सिंह पुत्र सभाजीत सिंह निवासी गयापुर थाना जौतपुर जिला अम्बेडकरनगर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी का विवरण

आज दिनांक 17.05.2023 को उ0नि0 जयप्रकाश पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त विरेन्द्र सिंह पुत्र सभाजीत सिंह निवासी गयापुर थाना जौतपुर जिला अम्बेडकरनगर को रोडबेज चौराहा समय करीब 4.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत मुकदमा-

मु0अ0सं0 206/2023 धारा 411/413/473 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास

अभियुक्त विरेन्द्र सिंह पुत्र सभाजीत सिंह निवासी गयापुर थाना जौतपुर जिला अम्बेडकरनगर

क्रम0	मु0सं0अ0	धारा	थाना	जनपद
1.	206/2023	411/412/ भादवि 473	फूलपुर	आजमगढ़
2.	121/2018	सीआरपीसी 41	अतरौलिया	आजमगढ़
3	92/18	भादवि379	अतरौलिया	आजमगढ़
4	77/18	भादवि379	अतरौलिया	आजमगढ़
5	120/18	379/भादवि 4411	अतरौलिया	आजमगढ़
6	113/16	394/3 भादवि व 411/ आर्म्स एक्ट 25	अखण्डनगर	सुल्तानपुर
7	114/2022	323/504/ भादवि 506	करौदीकला	सुल्तानपुर

गिरफ्तार अभियुक्त-

विरेन्द्र सिंह पुत्र सभाजीत सिंह निवासी गयापुर थाना जौतपुर जिला अम्बेडकरनगर

बरामदगी-

एक अदद मोटर साइकिल प्लेटिना वाहन संख्या UP62M7257

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम-

उ0नि0 जयप्रकाश पाण्डेय मय हमराह थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़